


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.191)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी- 1348

दिनांक: 08/12/2014

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 191वीं बैठक दिनांक 25.11.2014 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	191:1	कार्यकारी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 22.10.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 22.10.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	191:2	कार्यकारी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 22.10.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 190वीं बैठक दिनांक 22.10.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	191:3	श्रीमति रेविता शर्मा पत्नी स्व. श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, सर्वेयर द्वारा अपने पति स्व. श्री दिनेश प्रसाद शर्मा सर्वेयर द्वारा प्राधिकरण से भूमि क्रय व भवन निर्माण हेतु लिये गये ऋण राशि पर देय ब्याज राशि रुपये 1,46,820.00 को माफ किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात श्रीमति रेविता शर्मा के पति स्व. श्री दिनेश प्रसाद शर्मा सर्वेयर द्वारा प्राधिकरण से भूमि क्रय व भवन निर्माण हेतु लिये गये ऋण राशि पर देय ब्याज राशि रुपये 1,46,820.00 को माफ किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
4.	191:4	आवास गृह संख्या सी-323 योजना पालड़ी मीणा के नियमितीकरण के संबध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास गृह संख्या सी-323 योजना पालड़ी मीणा के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर आवास का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-10ए
5.	191:5	भूखण्ड संख्या डी-163 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के संबध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या डी-163 योजना पालड़ी मीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने की अनुमति चाहने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए
6.	191:6	भूखण्ड संख्या सी-341 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के संबध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या सी-341 योजना पालड़ी मीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने की अनुमति चाहने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के	उपायुक्त जोन-10ए

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
7.	191:7	हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या 62 के नियमितीकरण के संबध में।	विचार-विमर्श पश्चात हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या 62 के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13
8.	191:8	भूखण्ड संख्या 96(पुराना नं. 39), हरचंदपुरा डेयरी योजना के नियमितीकरण बाबत्।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या 96 (पुराना नं. 39), हरचन्दपुरा डेयरी योजना के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13

सचिव,


इयत्त विकास प्राधिकरण जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी						
9.	191:9	ट्रांसपोर्ट नगर योजना की द्वितीय चरण की लॉटरी निकालने की कार्यवाही से पूर्व विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में।	<p>बैठक में उपायुक्त जोन-13 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आवेदित भूखण्डों की संख्या तथा उसी आकार के भूखण्डों की उपलब्धता में अन्तर है।</p> <p>प्रकरण में गहन विचार-विमर्श पश्चात उपायुक्त जोन-13 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट में दिए गए पांचों प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-</p> <p>प्रस्ताव संख्या 1 में आवेदकों द्वारा आवेदन में दर्शाए गए भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार ही आवेदनों को लॉटरी में इस शर्त के साथ शामिल किया जावेगा कि उस आकार के भूखण्ड योजना में उपलब्ध हों। जहां मांग अनुसार कुल भूखण्डों की उपलब्धता न हो उनमें आवेदित भूखण्डों के आकार के स्थान पर न्यूनतम श्रेणी के उपलब्ध आकार के भूखण्डों को लॉटरी द्वारा आवंटित किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा :-</p> <table border="1" data-bbox="1182 1144 1863 1318"> <thead> <tr> <th>आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल</th> <th>दिए जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 व 60 वर्गमीटर</td> <td>40 वर्गमीटर</td> </tr> <tr> <td>80 वर्गमीटर</td> <td>80 वर्गमीटर</td> </tr> </tbody> </table>	आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल	दिए जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल	40 व 60 वर्गमीटर	40 वर्गमीटर	80 वर्गमीटर	80 वर्गमीटर	उपायुक्त जोन-13
आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल	दिए जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल									
40 व 60 वर्गमीटर	40 वर्गमीटर									
80 वर्गमीटर	80 वर्गमीटर									

सचिव,


बयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव		सम्बन्धित अधिकारी	
			160-180 वर्गमीटर	120-160.2 वर्गमीटर		
			210 वर्गमीटर	210-212.4 वर्गमीटर		
			240-315 वर्गमीटर	240 वर्गमीटर		
			390 वर्गमीटर	360 व 390 वर्गमीटर		
			480 वर्गमीटर	463-480 वर्गमीटर		
			<p>प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार जिन आवेदकों के द्वारा 480 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु आवेदन किया गया है उन्हें द्वितीय चरण की लॉटरी में 520 वर्गमीटर से 612 वर्गमीटर तक के सृजित अनुमोदित उपलब्ध भूखण्डों में शामिल करते हुए ही लॉटरी निकाली जाकर भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।</p> <p>प्रस्ताव संख्या 3 में दिए गए प्रस्ताव "ऐसे समस्त संदेहास्पद, मिसिंग आवेदनों व बाद में पुनर्परीक्षण में पात्र पाए जाने वाले मामलों में तृतीय चरण की लॉटरी निकाला जाना प्रस्तावित है," को स्वीकृति प्रदान की गई।</p>			


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>प्रस्ताव संख्या 4 में दिए गए प्रस्ताव "क्योंकि समस्त आवेदन एक ही समय में लिए गए थे तथा एसोसिएशनों की मान्यता के आधार पर ही पूर्व में परीक्षण कर इन एसोसिएशनों के सदस्यों को प्रथम चरण में लॉटर में शामिल किया गया था। अतः इन एसोसिएशनों के सदस्यों को द्वितीय चरण में भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है," को स्वीकृति प्रदान की गई।</p> <p>प्रस्ताव संख्या 5 में दिए गए प्रस्ताव अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर में द्वितीय चरण की लॉटरी निकालने हेतु स्वीकृत आवंटन-दर (आरक्षित दर) रूपए 13500/- प्रति वर्गमीटर किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	
10.	191.10	प्राधिकरण में पम्प चालक ग्रेड-11 के एक पद को पम्पचालक ग्रेड-1 के पद में क्रमोन्नत किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण में पम्पचालक ग्रेड-11 के वर्तमान में उपलब्ध तीन पदों में से एक पद को पम्पचालक ग्रेड-1 के पद में क्रमोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण को राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का भी अनुमोदन किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)



सचिव,

बयपुर विकास प्राधिकरण बयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
11.	191.11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2013-14 के लिये बोनस/एक्सग्रेसिया एवं उपहार स्वीकृति करने के सम्बंध में जारी आदेश दिनांक 14.10.2014 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2013-14 के लिये बोनस/एक्सग्रेसिया स्वीकृति बाबत प्रसारित आदेश क्रमांक प-4(10)जविप्रा/संस्था/83 पार्ट-II दिनांक 14.10.2014 एवं उपहार स्वीकृति करने के सम्बंध में जारी आदेश क्रमांक प-4(10)जविप्रा/संस्था/83 पार्ट-II दिनांक 14.10.2014 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
12.	191.12	Approval of tender for the work "various development work on Sirsi Road from Sirsi Mode to Siwar Mode Zone- 12, JDA, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "various development work on Sirsi Road from Sirsi Mode to Siwar Mode zone- 12, JDA, Jaipur." के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:- 1. निविदा-प्रपत्र की Schedule III की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 2. उक्त कार्य में न्यूनतम दर दाता मैसर्स मदनलाल रामेश्वरलाल द्वारा दी गई "जी-सूची" राशि पर 4.86% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 4,77,55,969.00 का कायदेश बिना किसी शर्त के जारी करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
13.	191.13	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-456, एच-234, एच-154, ई-62, ए-51, बी-235, सी-293, सी-370, डी-140, डी-153, ए-44, डी-188, ए-81, ए-136, एच-18, एच-626, जी-285 के नियमितीकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या डी-456, एच-234, एच-154, ई-62, ए-51, बी-235, सी-293, सी-370, डी-140, डी-153, ए-44, डी-188, ए-81, ए-136, एच-18, एच-626, जी-285 के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्डों का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-13ए
14.	191.14	प्राधिकरण हेतु 3 नये वाहन क्रय करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण हेतु दो वाहन Maruti Ciaz ZXI Petrol एवं एक वाहन Toyota innova VXJN Deisel तथा एसेसरीज़ क्रय करने के लिए रूपए 35,60,236.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
15.	191.15	Development of "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas yojana, Agra Road. Package-1A (1008 DU's G+3 Pattern)	विचार-विमर्श पश्चात "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas yojana, Agra Road. Package-1A (1008 DU's G+3 Pattern)" के लिए न्यूनतम दर	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,


बदपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			दाता मैसर्स मनीषा प्रोजेक्ट्स के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 6.66% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 44,71,89,694.88 का कायदेशि जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	
16.	191.16	Construction of Low height Compound wall along sector roads in (Zone 6,7&12) JDA, jaipur (Rate Contract).	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Low height Compound wall along sector roads in (Zone 6,7&12) JDA, jaipur" के लिए वार्षिक दर संविदा में न्यूनतम दर 4.94% Below BSR, 2012 पर कुल राशि रूपए 1,59,70,878.00 की निविदा मैसर्स ताइकेश्वर नाथ कन्सट्रक्शन के पक्ष में बिना किसी शर्त के स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
17.	191.17	Construction of Low Height Compound wall along sector roads in (Zone-8,11&14) JDA, Jaipur (Rate Contract)	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Low Height Compound wall along sector roads in (Zone-8,11&14) JDA, Jaipur" के लिए वार्षिक दर संविदा में न्यूनतम दर 7.0% Below BSR, 2012 पर कुल राशि रूपए 1,54,95,835.00 की निविदा मैसर्स शिवचरण शर्मा के पक्ष में बिना किसी शर्त के स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
18.	191.18	Agenda Regarding Approval of bid for the Electrification work in JDA Scheme Kalpna Nagar, Jaipur	विचार-विमर्श पश्चात "Electrification work in JDA Scheme Kalpna Nagar, Jaipur" के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स एम. एम. ब्रदर्स के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 16.61% कम दर को	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 6,25,66,116.78 का कायदेशि जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	
19.	191.19	Approval of Bid Documents for the work of "Construction of six lane High Level Bridge connecting Riddhi-Siddhi junction to Mansarovar link road on Amanishah Nallah."	विचार-विमर्श पश्चात निविदा-प्रपत्र की समीक्षा के लिए निम्न अधिकारियों की एक सब-कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया :- 1. निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम 2. निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय 3. निदेशक (वित्त) 4. अधीक्षण अभियन्ता-आर.ओ.बी. 5. उप-निदेशक (व्यय एवं बजट) उपरोक्त सब-कमेटी द्वारा अपनी अनुशंषा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, जयपुर विकास आयुक्त को प्रस्तुत की जावेगी। उक्त अनुशंषा पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए कार्यकारी समिति द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
20.	191.20	Tender approval for the work of Annual rate contract for Electrical work at Various places JDA region in Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात "work of Annual rate contract for Electrical work at Various places JDA region in Jaipur." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स एम. एम. ब्रदर्स के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 25.52% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 3,84,78,132.52 का कायदेशि जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अन्य निर्णय :-

विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 68 की पालना बाबत।	<p>यह निर्णय लिया गया कि यदि बोलियों (Bid) के मूल्यांकन के पश्चात मूल्यांकन समिति अन्त में मात्र एक ही प्रत्युत्तरदायी बोली (Responsive Bid) पाए तो ऐसी स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 68 की पालना होना आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार के प्रकरण कार्यकारी समिति में भेजते समय उपापन समिति के सदस्य सचिव द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र (Certificate) अंकित किया जावे :-</p> <p>“प्रकरण में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 68 में वर्णित समस्त शर्तों की पालना कर ली गई है।”</p> <p>उपरोक्त निर्णय की पालना हेतु विशेषाधिकारी (आर.एम.) द्वारा कार्यालय आदेश जारी करने बाबत कार्यवाही की जावे।</p>	विशेषाधिकारी (आर.एम.)



(पवन अरोड़ा)


सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 191वीं बैठक दिनांक 25.11.2014 को सायंकाल 4:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन.सी माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री बृजेश शर्मा	विशेषाधिकारी (आर. एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
5.	श्री नीरज के. तिवारी	वरिष्ठ नगर नियोजक (एल.पी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्री अशोक रावत	अधिकांश अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
7.	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
8.	श्री एम.एस. रत्नू	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
9.	श्री राजेन्द्र विजय	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री अरविन्द आर्य	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री मदन लाल चौधरी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री टी.के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता (iv)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री वेद प्रकाश	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री रामप्रसाद	अधीक्षण अभियन्ता (आर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री बी.एल. जाटव	अधीक्षण अभियन्ता (vii)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री बीरबल सिंह शेखावत	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री आर.के. माथुर	अधिकांश अभियन्ता-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री वी. एम. जौहरी	अधिकांश अभियन्ता-आर.ओ.बी.-II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
21.	श्री एस. विक्रम सिंह	अधिकाारी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री पी. के. जैन	अधिकाारी अभियन्ता एस. आर.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री योगेश माथुर	अधिकाारी अभियन्ता एच. एस.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री सुरेश दत्त माथुर	अधिकाारी अभियन्ता-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री सलीम अहमद	अधिकाारी अभियन्ता(प्रोजेक्ट-4)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्रीमति सुमन मीणा	तहसीलदार	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री सुधीर वर्मा	सहायक अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	
28.	श्री आर. पी. जाटव	सहायक अभियन्ता (H-III)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री आशीष कुलश्रेष्ठ	कनिष्ठ अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


(पवन अरोड़ा)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.191)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2014/डी-

दिनांक:

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


 (पवन अरोड़ा)

सचिव
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर